

## कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर

### कार्यालय-आदेश

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक शिविरा-मा/सी-7/हिन्दी/स्थानान्तरण/2019 दिनांक-29.09.2019 के तहत कमला सिंह, व्याख्याता (हिन्दी), राउमावि, रामपुरा रूपा, जयपुर का स्थानान्तरण राबाउमावि, फुलेरा, जयपुर किया गया। कमला सिंह ने इस स्थानान्तरण आदेश के विरुद्ध माननीय राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, चलपीठ, जोधपुर में अपील संख्या-3219/2019 कमला सिंह बनाम सरकार एवं अन्य दायर की गई।

अपील संख्या-3219/2019 में माननीय अधिकरण द्वारा पारित निर्णय दिनांक-08.11.2019 द्वारा अपीलार्थी कमला सिंह को प्रत्यर्थी विभाग के सक्षम अधिकारी के समक्ष अपनी वेदना व्यक्त करते हुए एक अभ्यावेदन पेश किये जाने की स्थिति में इसे विधि अनुसार एक सकारण आख्यात्मक आदेश (REASONED SPEAKING ORDER) द्वारा निस्तारित किये जाने संबंधी आदेश दिए।

माननीय अधिकरण के निर्णय के क्रम में अपीलार्थी कमला सिंह द्वारा अभ्यावेदन प्रस्तुत कर स्वयं मधुमेह, रक्तचाप, जोड़ों व घुटनों के दर्द, सर्वाइकल, पीठ-दर्द इत्यादि से पीड़ित होने के कारण इलाज जयपुर में चलने के कारण अपना पदस्थापन जयपुर शहर में करने हेतु परिवेदना प्रस्तुत की है।

अपीलार्थी से प्राप्त संबंधित अभिलेखों का राज्य सरकार और विभाग के दिशा निर्देशों/परिपत्रों और नियमों के परिप्रेक्ष्य में परीक्षण कर उनकी मांग पर विचार किया गया। राज्य सरकार द्वारा स्थानान्तरण के संबंध में जारी दिशा-निर्देशों दिनांक 24.09.2019 के अनुसार राज्य सेवा के कार्मिकों में पूर्णतः दृष्टिहीन, 70 प्रतिशत से अधिक दिव्यांग, कैंसर, गुर्दा प्रत्यारोपण, हृदय शल्य चिकित्सा, विधवा, परित्यक्ता एवं शहीद की वीरगंगा से प्राप्त परिवेदनाओं को ही प्राथमिकता की श्रेणी में रखा गया है। अपीलार्थी का प्रकरण इनमें से किसी भी श्रेणी के अन्तर्गत नहीं आता। अपीलार्थी द्वारा धारित व्याख्याता का पद राज्य सेवा के राजपत्रित स्तर का पद है, और नियोक्ता द्वारा उन्हें छात्र हित/राज्य हित अथवा प्रशासनिक कारणों से राज्य में कहीं पर भी पदस्थापन/स्थानान्तरण किया जा सकता है। यह विधि सुस्थापित सिद्धान्त है कि इच्छित स्थान पर पदस्थापन की मांग अधिकार पूर्वक नहीं की जा सकती। अपीलार्थी द्वारा स्थानान्तरित पदस्थापन स्थान पर दिनांक-13.11.2019 को कार्यग्रहण भी कर लिया है।

उपर्युक्त परिस्थितियों को मद्देनजर रखते हुए अपीलार्थी द्वारा की गई मांग नियमानुकूल नहीं होने के कारण इनका अभ्यावेदन एतद्वारा खारिज किया जाकर निस्तारित किया जाता है।

(हिमांशु गुप्ता)

आई.एस.

निदेशक

माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान

बीकानेर

क्रमांक: शिविरा/माध्य/संस्था/सी-7/हिन्दी/स्था.को.के./कमला सिंह/3219/2019/दिनांक- 27/10/2020

➤ प्रतिलिपि निम्न को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु

1. संयुक्त विधि परामर्शी शिक्षा (विधि प्रकोष्ठ) विभाग जयपुर।
2. संबंधित संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा।
3. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी, (मुख्यालय) स्कूल शिक्षा।
4. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, स्कूल शिक्षा, जयपुर।
5. जि.शि.अ. (माध्य-विधि) जोधपुर।
6. विधि अनुभाग, कार्यालय हाजा।
7. सिस्टम एनालिस्ट कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वैबसाइट पर अपलोड हेतु।
8. प्रशिक्षणार्थी, राउमावि, रामपुरा रूपा, जयपुर/राबाउमावि, फुलेरा, जयपुर
9. कमला सिंह, व्या० हिन्दी, राबाउमावि, फुलेरा, जयपुर
10. गार्ड फंजिका।

(संयुक्त-निदेशक (कार्मिक))